संख्या- 3/2018/3184/33-1-2018-3070/18

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-**निदेशक**,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनॉक: 21 दिसम्बर, 2018**

विषय:- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में जैव विविधता प्रबंध समिति गठन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज अनुभाग-3 के अधिसूचना संख्या-2312/ 33-3-17-42/2015, दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों की सहायता हेतु जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

" जैव विविधता प्रबंध समिति का सभापति प्रधान तथा सचिव, ग्राम पंचायत पदेन सचिव होगा। समिति में 06 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें प्रत्येक समिति में कम-कम से 02 महिला सदस्य, 01 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा 01 पिछडे वर्ग का सदस्य होगा।" शासनादेश संख्या-4077/33-2-99-48जी0/99, दिनांक 29 जुलाई, 1999 द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अंतर्गत नियोजन एवं विकास समिति के साथ अन्य समितियों का भी गठन किया गया है। नियोजन एवं विकास समिति में ग्राम प्रधान-सभापति, 06 अन्य सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला और पिछडे वर्ग का 01 सदस्य अवश्य होगा।) का प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-   इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ‘‘जैव विविधता प्रबंध समिति‘‘अपने कार्यों के साथ-साथ नियोजन एवं विकास समिति का कार्य भी देखेगी तथा इसका नाम ‘‘जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति‘‘ होगा। उक्त अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 एवं शासनादेश संख्या-4077/ 33-2-99-48जी0/99, दिनांक 29 जुलाई, 1999 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कार्य करेगी।

भवदीय,

(**जितेन्द्र बहादुर सिंह**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, लखनऊ।
5- समस्त उप वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उत्तर प्रदेश।
8- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**जोगेन्द्र प्रसाद**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in